जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा रहा '**जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम**' बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम से जाना जाएगा।

मुख्य बिंदु

कार्यक्रम के बारे में:

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति **मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे** और गरीब व हाशिये पर मौजूद समुदायों को **सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए**।
- मुख्यमंत्री के अनुसार इस योजना का नाम **बाबा साहेब आंबेडकर** के नाम पर इसलिये रखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने ही **शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान** का दर्शन प्रस्तुत किया।
- **हर ग्राम पंचायत में 20-25 ऐसे परिवारों** की पहचान की जाएगी, जो अभी तक सुविधाओं से वंचित हैं।
- राज्य सरकार ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, **शौचालय, पेयजल, बिजली, गैस कनेक्शन,** आयुष्मान कार्ड, **पेंशन योजनाओं** जैसी सभी सरकारी सुविधाएँ दिलाने का कार्य करेगी।
- पहले चरण में **14-15 लाख परिवारों को योजना में शामिल** किया जाएगा।
- योजना में विशेष रूप से **मुसहर, थारू, वनटांगिया, कोल, बुक्सा, चेरो, गोड़ और सहरिया समुदायों** को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालयों** के रख-रखाव हेतु गठित समिति को नियमित **मासिक मानदेय** मिलेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G):

- **शुभारंभ: वर्ष 2022 तक "सभी के लिये आवास"** के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये, पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना (IAY) को 1 अप्रैल 2016 से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) में पुनर्गठित किया गया।
- **शामिल मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- **स्थिति:** राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने **लाभार्थियों को 2.85 करोड़ घर स्वीकृत किये हैं** और मार्च 2023 तक 2.22 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं।

आयुष्मान भारत-PMJAY:

परिचय:

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (**PMJAY**) पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित **विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा** योजना है।
- फरवरी 2018 में लॉन्च हुई यह योजना **माध्यमिक देखभाल** के साथ-साथ तृतीयक देखभाल हेतु **प्रति परिवार 5 लाख रुपए** की बीमा राशि प्रदान करती है।
    - स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, दवा एवं दैनिक उपचार, दवाओं की लागत और निदान शामिल हैं।
- यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।
    - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बचे हुए (अप्रमाणित) **SECC परिवारों के खिलाफ टैगिंग के लिये समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल वाले गैर-सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC)** लाभार्थी परिवार डेटाबेस का उपयोग करने हेतु लचीलापन प्रदान किया है।
- इस योजना का वित्तपोषण संयुक्त रूप से किया जाता है, सभी **राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों** के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच **60:40,** पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के लिये 90:10 और विधायिका के बिना केंद्रशासित प्रदेशों हेतु 100% केंद्रीय वित्तपोषण।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/zero-poverty-programme